नियम	विधान - प्रारूप	१९६३ का विधान नियम क्रमांक	विधान- आम सभा से पारित १५/०८/२०१३ तक के संशोधन के साथ	संशोधन
१ संस्था का नाम : -	इस संस्था का नाम “पालीवाल सेवा मंडल” है।	नियम क्रमांक १	इस संस्था का नाम पालीवाल सेवा मंडल रहेगा.	" रहेगा" की जगह "है "
२ पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र व कार्य वर्ष	१. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पालीवाल सेवा मंडल, ३८३, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, झिरो माइल के पास, सीताबर्डी, नागपूर ४४० ०१२ है।	नियम क्रमांक २	इसका कार्यालय नागपुर में होगा.	नियम क्रमांक २-१ - पंजीकृत कार्यालय का पता जोड़ा गया
	२. इसका कार्यक्षेत्र संचालन क्षेत्र संपूर्ण भारत और विदेश होगा ।			नियम २-२ जोड़ा गया , कार्यक्षेत्र जोड़ा गया
	३. संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।	पन्ना क्र ३ नियम ७	संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा.	नियम २-३ कोई बदलाव नहीं
३ संस्था के उद्देश	पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नति करना है।	नियम क्रमांक ३	पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नती करना होगा.	नियम क्रमांक ३ - कोई बदलाव नहीं
	इस उद्देश की पूर्ति के लिये संस्था निम्न लिखित कार्य करेगा।	नियम क्रमांक ४	उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंडल निम्न लिखित कार्य करेगा.	नियम क्रमांक ३ - कोई बदलाव नहीं
	१. पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधि एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -क	पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधी एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-१ - कोई बदलाव नहीं है
	२. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -ख	विधार्थियो के लिए छात्रवास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-२- कोई बदलाव नहीं है
	३. सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों पर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियेगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के बौध्दिक विकास में योग देना।	नियम क्रमांक ४ -ग	सामाजिक, राष्ट्रीय विषयापर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियागिता आदि कार्याक्रमोका आयोजन कर समाज के बौद्धिक विकास में योग देना.	नियम क्रमांक ३-३- कोई बदलाव नहीं है
	४. समाज को संगठित कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना।	नियम क्रमांक ४ -घ	समाज को संगठीत कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना.	नियम क्रमांक ३-४ - कोई बदलाव नहीं नहै
	५. जातीय उन्नति में सहायक साहित्य का निर्माण करना।	नियम क्रमांक ४ -ड	जातिय उन्नती में सहायक साहित्य का निर्माण करना.	नियम क्रमांक ३-५ - कोई बदलाव नहीं है
	६. दान,चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्यप्रकार की सहायता , कानूनी उपायोसे एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -च	धन तथा अन्य, प्रकार की सहायता दान व चन्दा, सदस्यता शुल्क क्या अन्य कानूनी उपायोसे एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-६ - "धन तथा अन्य, प्रकार की सहायता" २००३ के संविधान संशोधन से हटाया गया
	७. संस्था की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध कर के आय का साधन बनाना अथवा संस्था के ही कार्य में उसका उपयोग करना।	नियम क्रमांक ४ -छ	मंडल की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध करके आय कासाधन बनाना अथवा मंडल के ही कार्य में उसका उपयोग करना.	नियम क्रमांक ३-७- कोई बदलाव नहीं है
	८. योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय संस्था की कुल संपत्ती के मूल्य के १/४ से अधिक न होगा।	नियम क्रमांक ४ -ज	योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय मंडल की कुल संपत्ती के मुल्यकके १/४ से अधिक न होगा.	नियम क्रमांक ३-८- कोई बदलाव नहीं है
	९. मंडल अपने उद्देशों की पूती के लिये उपसमितियां संगठित करेगा।	नियम क्रमांक ४ -झ	मंडल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उप समीतिया संगठीत करेगा.	नियम क्रमांक ३-९ - कोई बदलाव नहीं है
	१०. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती देकर योग्य सहायता देना। इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे।	नियम क्रमांक ४ -क	असहाय विद्यार्थियों को योग्य सहायता देना. (यह सहायता उनका विद्याध्ययन पूर्ण होने पर आसान किश्तो में ५ साल में वापिस करनी होगी. इन विद्यार्थिया से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे).	नियम क्रमांक ३-१० - "असहाय विद्यार्थियो को योग्य सहायता देना" की जगह "विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती देकर योग्य सहायता देना" , "यह सहायता उनका विद्याध्ययन पूर्ण होने पर आसान किश्तो में ५ साल में वापिस करनी होगी" यह २००३ की सविधान संशोधन की तहत हटाया गया
	११. देशपर अतिवर्षा के कारण अकाल, बाढ या दुर्घटना आदि आपत्ति आ जाये तो उससे त्रस्त लोगों को संस्था की ओर से यथाशक्ति मदद करना।	अन्य नियम ३ से यहाँ उद्देश में लिया गया	देशपर किसी कारण अति वर्षाकाल या घटना आदि आपत्ती आ जाय तो उससे ग्रस्त लोगों का मंडल की आर से यथाशक्ती मदद करना.	नियम क्रमांक ३-११ - कोई बदलाव नहीं है
	उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।		उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	नियम ३ में जोड़ा गया
	संस्था की समस्त सम्पति का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।	नियम क्र ५	संस्था की समस्त सम्पति का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।	नियम क्रमांक ३ कोई बदलाव नहीं है

४	सदस्यता		पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)		नियम क्रमांक ४ कोई बदलाव नहीं है
		1. जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)	जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे.	नियम क्रमांक ४- १ कोई बदलाव नहीं है
		2. समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष की या उससे अधिक है वह संस्था का सदस्य बन सकता है।	नियम ५ ल	समाज का कोई भी व्यक्ती जीसकी आयु १६ वर्ष की या उससे आधिक वह मंडल का सदस्य बनता है.	नियम ४-२ में बदलाव "आयु १६ वर्ष" कि जगह "आयु १८ वर्ष"
		3. जिन सज्जनों की सदस्यता अस्वीकृत हो जायेगी उन सज्जनों को अस्वीकृती का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य नहीं रहेगी।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)	जिन सज्जनो की सदस्यता अस्वीकृत हो जावेगी उन सज्जनो अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य न रहेगी.	नियम क्रमांक ४-३ कोई बदलाव नहीं है
५	सदस्यों का वर्गीकरण		पन्ना क्रमांक २, नियम क्र २	सदस्यता प्रकार	नियम क्र ५ "सदस्यता प्रकार" की जगह "सदस्यों का वर्गीकरण"
		१. संरक्षक सदस्य	पन्ना क्रमांक२,नियम क्र २ /१		
		जो सज्जन कम से कम एक लाख रुपये की सहयता एक मुश्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देंगे वे संरक्षक सदस्य माने जायेंगे। ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे।		जो सज्जन कम से कम एक लाख रुपये की सहयता एक मुश्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देंगे वे संरक्षक सदस्य माने जायेंगे। ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे।	नियम क्रमांक ५-१ कोई बदलाव नहीं (२००३ के आम सभा की सहमती द्वारा)
		२. आजीवन सदस्य	पन्ना क्रमांक२,नियम क्र २ /३		
		जो सज्जन संस्था को कम से कम २१००/- रुपये एक मुश्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे।		जो सज्जन संस्था को कम से कम २१००/- रुपये एक मुश्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे।	नियम क्रमांक ५-२ कोई बदलाव नहीं "१५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा आम सभा इसे पारित किया"
६	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्नप्रकार किया जा सकेगा :-			नियम ६ में जोड़ा गया
		1. त्यागपत्र देनेपर			नियम ६/१ में जोड़ा गया
		2. संस्था के उद्देशोके विपरीत कार्य करने पर			नियम ६/२ में जोड़ा गया
		3. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर, अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य करने पर को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है।	पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ५ क	कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर, अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य करने पर को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है।	नियम क्रमांक ६-३ कोई बदलाव नहीं है
		उक्त प्रकार की निष्काशन की अपील १५ दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जाएगी तथा सर्वसाधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।			नियम ६ में जोड़ा गया
७	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या ५ में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ६ व ८	नियम ६ के तहत वार्षिक सर्वसाधारण सभा व नियम ८ के तहत साधारण सभा	नियम ७ में बदलाव "वार्षिक सर्वसाधारण सभा" की जगह साधारण सभा और इसका निर्माण " जोड़ा गया
८	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे,			नियम ८ जोड़ा गया "साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य"
		१. कार्यकारिणी का चुनाव करना।	पन्ना क्रमांक ३, नियम ६ - २	कार्यकारणी समिती का चुनाव.	नियम ८-१कोई बदलाव नहीं
		२. वार्षिक बजट पारित करना।	पन्ना क्रमांक ३,,नियम ६ अ	वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आयव्यय पत्रक पर विचार.	नियम ८-२ कोई बदलाव नहीं
		३. कार्यकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।			नियम ८ - ३ जोड़ा गया "कार्यकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना"
		४. सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार।	पन्ना क्रमांक ३,,नियम ६ क	सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार.	नियम ८-५ कोई बदलाव नहीं है

		५. संस्था [illegible] या बढाने का अधिकार संस्था की साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों में से ७५% सदस्यों की अनुमति से होगा।	पन्ना क्रमांक ८, अन्य नियम २		८-५ में कोई बदलाव नहीं है
		६. संस्था के कुल उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन			नियम ८-५ जोड़ा गया
		(नोट- जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)			
९	साधारण सभा की बैठके		पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ६ व ८	नियम ६ के तहत वार्षिक सर्वसाधारण सभा	नियम ९ में " साधारण सभा की बैठके " इस तरह किया गया
		१. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र ६ अ	वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सितंबर के पूर्व होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे	नियम ९-१ मे बदलाव "वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सितंबर के पूर्व होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे" की जगह "साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी"
		२. संस्था के १/३ अथवा १०० सदस्य इनमे से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा १ माह के अन्दर बैठक आहूत करना आवश्यक होगा. निर्धारित अवधि में मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त १०० सदस्यों में से कोई भी १० सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होगे ।			नियम ९-२ जोड़ा गया
१०	साधारण सभा का कोरम		पन्ना क्रमांक ४, नियम क्र ६ व ८"कोरम"	कोरम - वार्षिक सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम ४५ सदस्यों का होगा. कोरम के अभाव मे आधा घन्टे के पश्चात इसी स्थान पर वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही होगी.	नियम १० में "कोरम" की जगह " साधारण सभा का कोरम " इस तरह किया गया.
		१. सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम १००सदस्यों का होगा।	पन्ना क्रमांक ४, नियम क्र ६ व ८"कोरम"		नियम १० -१ में "४५" की जगह "१००" किया गया.
		२. कोरम अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः आधे घन्टे के पश्चात पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आहूत की जा सकेगी, ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।			नियम १० -२ में "कोरम के अभाव मे आधा घन्टे के पश्चात इसी स्थान पर वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही होगी." की जगह " कोरम अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः आधे घन्टे के पश्चात पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आहूत की जा सकेगी, ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।" किया गया.
११	साधारण सभा की सुचना				नियम ११ - "वार्षिक सर्व साधारण सभा" की जगह "साधारण सभा की सुचना" किया गया
		१. साधारण सभा की सुचना १५ दिन पूर्व देनी होगी, ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थान और विषय का समावेश होगा।	पन्ना क्रमांक ९, अन्य में नियम ८	वार्षिक सर्व साधारण सभा की सुचना * १५ दिन पूर्व और कार्यकारिणी की बैठक की सुचना दो दिन पूर्व देनी होगी. ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थानऔर विषय का समावेश होगा.	नियम ११-१ -कोई बदलाव नहीं - ७-१२-२००३ के आम सभा की सहमती द्वारा २१ दिन से १५ दिन किया गया
		२. साधारण सभा की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा			नियम ११-२ जोड़ा गया

१२	कार्यकारिणी समिति का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्म प्रकार के होंगे।	पन्ना क्रमांक ४, नियम ८	उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे	नियम १२ कोई बदलाव नहीं " निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणी समिती के पदेन सदस्य रहेंगे" यह प्रस्ताव आम सभा द्वारा १५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
		१) अध्यक्ष -१ २) उपाध्यक्ष २ : एक उपाध्यक्ष महीलाओं में से रहेगी. ३) मंत्री - १ ४) उपमंत्री -२ : एक उपमंत्री छात्रोंमें से रहेगा. ५) अर्थमंत्री -१ ६) उपअर्थमंत्री -१ ७) सदस्य -११ कार्यकारिणी समिति में ८ पदाधिकारी, ११ सदस्य होंगे.		अध्यक्ष - १ उपाध्यक्ष - २ एक उपाध्यक्षा महिलाओं में से ह मंत्री - १ उपमंत्री - २ एक उपमंत्री छात्रों में से होगा कोषाध्यक्ष - १ उपकोषाध्यक्ष - १ सदस्य - ११ निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणीसमिती के पदेन सदस्य रहेंगे	
		निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणी समिती के पदेन सदस्य रहेंगे , इस प्रकार कार्यकारिणी समिति कुल २१ सदस्य रहेंगे।			
१३	कार्यकारिणी का निर्वाचन		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "		
		१ संस्था का कार्यकारिणी का चुनाव २ वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा, किंतु जब तक नयी कार्यकारिणी गठित नही होगी तब तक पुरानी कार्यकारिणी संस्था का कार्य संभालेंगे।		कार्यकारिणी समिति का चुनाव पालीवाल सेवा मंडल के कुल संस्थापक सदस्य मेसे होगा. कार्यकारीणीका कार्य काल २ वर्षका रहेगा किन्तु जब तक नवीन कार्यकारीणी गठीत न होगी तबतक पूरानी कार्यकारीनी काम सम्हालेंगी.	नियम १३-१ कोई बदलाव नहीं
		२ चुनाव प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।			नियम १३-२ जोड़ा गया
		३ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति या विशेष परिस्थिति में साधारण सभा द्वारा की जाएगी ।		चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा.	नियम १३-३ " २-३-९७' आम सभा द्वारा पारित
		४ चुनाव की नियमावली इस विधान के परिशिष्ट १ में दी गयी है।		**परशिष्ट १ में सलग्न**	नियम १३-४ " २-३-९७' आम सभा द्वारा पारित
		५ संस्था का सदस्य कार्यकारिणी में पदाधिकारी के रूप में अधिकतम तीन बार ही रह सकता है, और कार्यकारिणी का सदस्य भी अधिकतम तीन बार ही रह सकता है।			नियम १३-५ जोड़ा गया
१४	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य	संस्था के कार्यकारिणी के निम्म लिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे -	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार "		नियम १४ "कार्यकारिणी के अधिकार " की जगह "कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य"
		१. सदस्य बनाना/ निष्कासित करना।			नियम १४-१ जोड़ा गया
		२. वार्षिक बजट तैयार करना।		मंडल के उद्देश्य को सुचारु रुप से सफल करने के लिये विभिन्न उपसमितीयों का निर्माण करना, मंडल क ओर से कोई भी कार्य करना और उसके लिये उत्तरदायित्व लेना, वार्षिक पत्रक तथा आय व्यव पत्रक तैयार करना एवं व्यव के मुद्दों पर नियंत्रण करना, मंडल के कार्य को सुचारु रुप से संचालन करने के लिये उपनियम बनाना.	नियम १४-२ कोई बदलाव नहीं
		३. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।			नियम १४-३ जोड़ा गया
		४. वैतनिक कर्मचारियोंकी नियुक्ति करना उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।			नियम १४-४ कोई बदलाव नहीं
		५. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।			नियम १४-५ जोड़ा गया
		६. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितिया बनाना।			नियम १४-६ कोई बदलाव नहीं
		७. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।			नियम १४-७ जोड़ा गया
		८. कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी. नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल कार्यकारणी के अनुरूप होगा।		कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी.	नियम १४-८ कोई बदलाव नहीं

		९. अन्य संस्था में प्रतिनिधि नामजद करना व नामजद व्यक्ति को इस संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है।			नियम १४-९ जोड़ा गया
		१०. संस्था की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर में दर्ज किया रहेगा तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे।	अन्य नियम १० से यहाँ से लिया गया	मंडल की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर में दर्ज किया रहेगा. तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे.	नियम १४-२ कोई बदलाव नहीं
१५	कार्यकारिणी की बैठके		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "		नियम १५ कोई बदलाव नहीं
		१. कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम ५ बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशकता होने पर अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।		कार्यकारिणी की बैठक मंत्री व्दारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी.	नियम १५-१ में बदलाव "कार्यकारिणी की बैठक मंत्री व्दारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी" की जगह "कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम ५ बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशकता होने पर अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी"
		2 कार्यकारिणी के किन्ही ५ सदस्योंके आवेदन पर मंत्री को ७ दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा		अध्यक्ष के आदेशानुसार अथवा कार्यकारिणी के किन्ही पांच सदस्यों के आवेदन पर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ट विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारिणी की विशेष सभा बुलानी होगी	नियम १५-२ म बदलाव "अध्यक्ष क आदशानुसार अथवा कार्यकारिणी के किन्ही पांच सदस्यों के आवेदन पर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ट विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारिणी की विशेष सभा बुलानी होगी" की जगह "कार्यकारिणी के किन्ही ५ सदस्योंके आवेदन पर मंत्री को ७ दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा"
१६	कार्यकारिणी की बैठको का कोरम		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "	कार्यकारिणी की बैठक का कोरम	नियम १६ कोई बदलाव नहीं
		१. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।		कार्यकारिणी की बैठक का कोरम * १० सदस्यों का होगा.	नियम १६-१ में बदलाव कार्यकारिणी की बैठक का कोरम १० सदस्यों का होगा की जगह " बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा"
		२. कारम क आभाव म बठक स्तागत का जा सकगा जा पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान और समय पर होगी, ऐसी स्तगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे, ऐसी स्तगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम ३ पदाधिकारियोंकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।			नियम १६-२ जोड़ा गया
१७	कार्यकारिणी की बैठक की सुचना				नियम १७ जोड़ा गया
		१. बैठक की सूचना प्राय: ७ दिन पूर्व दी जाएगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी ।			नियम १७-१ जोड़ा गया
		२. कार्यकारिणी की बैठक की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा			नियम १७-२ जोड़ा गया

१८	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्म प्रकार होंगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार "	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार	नियम १८ कोई बदलाव नहीं
		१. अध्यक्ष		अध्यक्ष के अधिकार	नियम १८-१ कोई बदलाव नहीं
		१. बैठकों की अध्यक्षता करना।			नियम १८-१-१ जोड़ा गया
		२. संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार **अ**	अ) संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है.	नियम १८-१-२ कोई बदलाव नहीं
		३. व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार ब	ब) व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो	नियम १८-१-३ कोई बदलाव नहीं
		४. असयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार क	क) असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा.	नियम १८-१-४ कोई बदलाव नहीं
		५. मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार ख	ख) मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना.	नियम १८-१ -५ कोई बदलाव नहीं
		६. संस्था व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार घ	य) मंडल व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना.	नियम १८-१- ६ कोई बदलाव नहीं
		७. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।			नियम १८-१-७ जोड़ा गया
		८. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।			नियम १८-१-८ जोड़ा गया
		२. उपाध्यक्ष	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार	उपाध्यक्ष	नियम १८-२ कोई बदलाव नहीं
		१. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार अ	अ) संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना.	नियम १८-२- १ कोई बदलाव नहीं
		२. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार ब	ब) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना.	नियम १८-२- २ कोई बदलाव नहीं
		३. मंत्री		मंत्री	नियम १८-३ कोई बदलाव नहीं
		१. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायोत्व को पूर्ण करने में सहायता देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	अ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायित्व को पूर्ण करने में सहायता देना.	नियम १८-३- १ कोई बदलाव नहीं
		२. कार्यालय तथा मंडल की समस्थ गतिविधी के लिये उत्तरदायी रहकर मंडल का कार्यभार संभालना।		ब) कार्यालय तथा मंडल की समस्त गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रह कर मंडल का कार्यभार सभालना.	नियम १८-३- २ कोई बदलाव नहीं
		३. संस्था के चंदे की रकम, जायजाद संपती का उचित रूपसे निरीक्षण करना तथा सुरक्षित हाथो मे रखना।		क) संस्था के चंदे की रकम, जायदाद संपत्ति का उचित रुप से निरिक्षण करना तथा सुरक्षित हाथों में रखना.	नियम १८-३- ३ कोई बदलाव नहीं
		४. बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रूपसे संचालन करना।		ख) बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रुप से संचालन करना.	नियम १८-३- ४ कोई बदलाव नहीं

५. समय पर आये हुये कार्यालय के पत्र का ठीक से उत्तर देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्यों का निरीक्षण करना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	भ) समय पर आये हुये कार्यालय के पत्र का उचित जवाब देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्योका निरीक्षण करना.	नियम १८-३- ५ कोई बदलाव नहीं
६. संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनायो एवं पारेस्थितीयो की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकार उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना।		ग) संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनाइयों एवं परिस्थितियों की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकर उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना.	नियम १८-३- ६ कोई बदलाव नहीं
७. कार्यकारिणी के सलाहसे मंडल के कर्मचारियो को नियुक्त करना, उनका वेतन निश्चित करना तथा उनके नोकरी से सलग्न करना,	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	च) संस्था से संबंधित प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करना. संस्था से संबंधित प्रत्येक समिती से संबंध स्थापित कर वहां की प्रबंध समितियों पर समय समय पर निरीक्षण करना. कार्यकारिणी की सलाह से मंडल के कर्मचारियों को नियुक्त करना. उनका वेतन निश्चित करना तथा उनको नोकरी से अलग करना. मंडल से संबंधित अन्य कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना.	नियम १८-३-७ कोई बदलाव नहीं
८. संस्था के संबधित प्रत्येक से समिति सरकारी कानुनी कार्यवाही करना.			नियम १८-३- ८ कोई बदलाव नहीं
९. सस्थास सबदात प्रत्यक सामतास स सबध स्थापित कर वहाँ की प्रबंध समितीयो पर समय समय पर निरिक्षण करना,			नियम १८-३- ९ कोई बदलाव नहीं
१०. संस्था से संबंधित अन्य कार्या कोकार्यान्वित करणे के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना।			नियम १८-३- १० कोई बदलाव नहीं
४. उपमंत्री	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	उपमंत्री	नियम १८-४ कोई बदलाव नहीं
१. मंत्री की समस्त प्रवृत्तियोको सहायक होगी तथा उनकी अनुपस्थी ती मे उसका कार्यभार संभालेगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	अ) मंत्री की समस्त प्रवृत्तियों का सहायक होगा तथा उनकी अनुपस्थिती में उनका कार्यभार संभालेगा	नियम १८-४- १ कोई बदलाव नहीं
२. मंडल के समस्त्त कार्योपर भी ध्यान देते राहेगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	ब) मंडल के समस्त कार्यों पर भी ध्यान देते रहेगा.	नियम १८-४- २ कोई बदलाव नहीं
५. कोषाध्यक्ष	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	नियम १८-५ कोई बदलाव नहीं
१. संस्था की संपत्ती सबंधित मामलो की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यय का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	अ) संस्था की संपत्ति संबंधी मामले की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यव का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा.	नियम १८-५-१ कोई बदलाव नहीं
२. अध्यक्ष की अनुमती बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	ब) अध्यक्ष की अनुमति बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा.	नियम १८-५- २ कोई बदलाव नहीं
३. खर्च या जमा की रसीदे प्राप्त करना आवश्यक होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	क) खर्च व जमा की रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा.	नियम १८-५- ३ कोई बदलाव नहीं

	६. अन्य सदस्य	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	अन्य सदस्य	नियम १८-६ कोई बदलाव नहीं
	१. कार्यकारीनी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचार से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और उन्हें संस्था के कार्यकारीनी पदाधीकारीयाके कार्यो में पूर्ण मदत पहुचाते रहगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	कार्यकारिणी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचारों से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्यों में पूर्ण मदद पहुँचाते रहेंगे.	नियम १८-६- १ कोई बदलाव नहीं
	२. मंडल के मंत्री द्वारा सूचित कार्योपर सुचारू रूपसे पारीत करने के लिये जिम्मेदार रहेंगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	मंडल के मंत्री व्दारा सूचित कार्यो को सुचारु रुप से पारित करने के लिये जिम्मेदार रहेगे.	नियम १८-६- २ कोई बदलाव नहीं
19	प्रथम कार्यकारिणी समिति	पन्ना क्रमांक ६, प्रथम चुनाव		कोई बदलाव नहीं
	दिनांक २७.०४.२०२५ को कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ जिसमे निम्मलिखित सदस्य कार्यकारिणी समिति में चुने गए		ता. २०-१०-६३ को कार्यकारिणी समितिका चुनाव हुआ जिसमे निम्नलिखित सज्जन कार्यकारीणी समितिमे चुने गये.	नियम १९ में "ता. २०-१०-६३ " की जगह "दिनांक २७.०४.२०२५"जोड़ा गया
	१. अध्यक्ष : श्रीमान मोतीलाल खूबचंद पालीवाल		१. अध्यक्ष : श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल,सीताबर्डी नागपूर	नियम १९-१ में "श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल,सीताबर्डी नागपूर" की जगह "श्रीमान मोतीलाल खूबचंद पालीवाल"जोड़ा गया
	२. उपाध्यक्ष: श्रीमान राजेंद्र मोहनलाल ठोमा		२. उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलालजी शर्मा	नियम १९-२ में " श्री मुंशीलालजी शर्मा " की जगह "श्रीमान राजेंद्र मोहनलाल ठोमा"जोड़ा गया
	३. उपाध्यक्ष: श्रीमती दुर्गा भोजराज पालीवाल		३. उपाध्यक्षा : सौ. सुशीलाबाई पालीवाल	नियम १९-३ में "सौ. सुशीलाबाई पालीवाल" की जगह "श्रीमती दुर्गा भोजराज पालीवाल "जोड़ा गया
	४. मंत्री : श्रीमान अमर नंदकिशोर पालीवाल		४. मंत्री : श्रीमान पं. किशोरीलालजी पालीवाल	नियम १९-४ में "श्रीमान पं. किशोरीलालजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान अमर नंदकिशोर पालीवाल"जोड़ा गया
	५. उपमंत्री : श्रीमान अमोल शिवनारायण पालीवाल		५. उपमंत्री : श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल	नियम १९-५ में "श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान अमोल शिवनारायण पालीवाल "जोड़ा गया
	६. कोषाध्यक्ष:श्रीमान जनार्दन किशोरिलाल पालीवाल		६. कोषाध्यक्ष : श्री दौलतरामजी पालीवाल	नियम १९-६ में "श्री दौलतरामजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान जनार्दन किशोरिलाल पालीवाल "जोड़ा गया
	७. उप कोषाध्यक्ष: श्रीमान राधेश्याम पालीवाल		७. निर्देशक	नियम १९-७ में "निर्देशक" की जगह " उप कोषाध्यक्ष" व पद (रिक्त स्थान की जगह "श्रीमान राधेश्याम पालीवाल "जोड़ा गया
	८. छात्रमंत्री : श्रीमान रोहिन गोपाल पालीवाल			नियम १९ -८ में "पद " की जगह "उप छात्रमंत्री " व रिक्त स्थान की जगह "श्रीमान रोहिन गोपाल पालीवाल "जोड़ा गया
	९. सदस्य	पन्ना क्रमांक ५, ता. २०-१०-६३ को कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ जिसमे निम्मलिखित सदस्य कार्यकारिणी समिति में चुने गए	८. सदस्य	नियम १९ -९ में कोई बदलाव नहीं
	१. श्रीमान राधेशाम सुन्दरलाल पालीवाल		1. श्री ताराचंदजी पालीवाल	नियम १९-९-१ में "श्री ताराचंदजी पालीवाल" की जगह " राधेशाम सुन्दरलाल पालीवाल"जोड़ा गया
	२. श्रीमान बालकिसन सोमराज पालीवाल		2. श्री हरजीमलजी पालीवाल	नियम १९-९-२ में "श्री हरजीमलजी पालीवाल" की जगह "श्रीमान बालकिसन सोमराज पालीवाल" जोड़ा गया
	३. श्रीमान रमेश अमृतलाल पालीवाल		3. श्री चुन्नीलालजी पालीवाल	नियम १९-९-३ में "श्री चुन्नीलालजी पालीवाल" की जगह "श्रीमान रमेश अमृतलाल पालीवाल"जोड़ा गया
	४. श्रीमान भगवतीप्रसाद सतीदान पालीवाल		4. श्री अमरचंदजी पालीवाल	नियम १९९-४ में "श्री अमरचंदजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान भगवतीप्रसाद सतीदान पालीवाल"जोड़ा गया
	५. श्रीमती सुनीता गोपाल पालीवाल		5. श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल	नियम १९ -९-५ में "श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल" की जगह " श्रीमती सुनीता गोपाल पालीवाल" जोड़ा गया
	६. श्रीमती प्रियंका प्रशांत पालीवाल		6. श्री राधाकृष्णजी पालीवाल	नियम १९-९-६ में "श्री राधाकृष्णजी पालीवाल" की जगह "श्रीमती प्रियंका प्रशांत पालीवाल "जोड़ा गया

		७. श्रीमान नितिन बदरीप्रसाद पालीवाल		7. श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)	नियम १९-९-७ में "श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)" की जगह " श्रीमान नितिन बदरीप्रसाद पालीवाल" जोड़ा गया
		८. श्रीमान सचिन घनशाम शर्मा		8. श्री किशनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)	नियम १९-९-८ में "श्री किशनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)" की जगह " श्रीमान सचिन घनशाम शर्मा"जोड़ा गया
		९. श्रीमान भरत गिरिजाशंकर पालीवाल		9. श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)	नियम १९-९-९ में "श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)" की जगह " श्रीमान भरत गिरिजाशंकर पालीवाल "जोड़ा गया
		१०. श्रीमान रमेशचंद्र श्रीकिशनजी पालीवाल		10. श्री कन्हैयालालजी पालीवाल (काटोल)	नियम १९-९-१० में " श्री कन्हैयालालजी पालीवाल (काटोल)" की जगह " श्रीमान रमेशचंद्र श्रीकिशनजी पालीवाल"जोड़ा गया
		११. श्रीमान मिलिन्द्कुमार देवचंद पालीवाल		11. सौ. इंदिराबाई पालीवाल	नियम १९-९-११ में "सौ. इंदिराबाई पालीवाल" की जगह "श्रीमान मिलिन्द्कुमार देवचंद पालीवाल "जोड़ा गया
२०	संस्था का कोष				नियम २०जोड़ा गया
		१. संस्था का कोष निम्म प्रकार से संचित होगा,			नियम २०-१ जोड़ा गया
		१. चंदा			नियम २०-१-१जोड़ा गया
		२. शुल्क			नियम २०-१-२ जोड़ा गया
		३. अनुदान			नियम २०-१-३ जोड़ा गया
		४. सहायता			नियम २०-१-४ जोड़ा गया
		२. उक्त प्रकार से संचित राशी राष्ट्रियकृत बैंक में सुरक्षित रखी जाएगी।			नियम२०-२ जोड़ा गया
		३. अध्यक्ष/ मंत्री / कोषाध्यक्ष या अन्य कार्यकारिणी सिमीत पदाधिकारी में से किन्ही (३) तिन पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक के लेन-देन संभव होगा।			नियम २० -३ जोड़ा गया
२१	कोष संबधी विशेषाधिकार/ व्ययधिकार		पन्ना क्रमांक ८, "वव्ययाधिकार"	मंत्री कार्यकारिणी की अनुमती के बिना रुपये २५ तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी के अनुमती से करेगा. किसी समय भी मंडल की १०० रूपये से अधिक पुंजी अपने पास नही राख सकेगा, तथा शेष रक्कम यथाशिघ्र बँक में जमा कर देना होगी.	नियम २१ "वव्ययाधिकार" की जगह "कोष संबधी विशेषाधिकार/ व्ययधिकार" किया गया
		१. मंत्री कार्यकारिणी की अनुमति के बिना रु १०,०००/- तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी की अनुमति से करेगा।			नियम २१-१ " रुपये २५०० की" जगह " रु १०,०००/-" किया गया ७.१२.२००३ की आम सभा द्वारा पारित
		२. किसी समय भी मंडल की १०,०००/- रुपये से अधिक पूँजी अपने पास न रख सकेगा, तथा शेष रकम यथाशीघ्र बैंक में जमा कर देना होगा।			नियम २१-२"५०००" की जगह " १००००/-"किया गया ७.१२.२००३ की आम सभा द्वारा पारित
२२	संस्था का अंकेषण				नियम २२ जोड़ा गया
		१. संस्था का समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेषण कराया जायेगा।			नियम २२-१ जोड़ा गया
		२. अंकेषण की नियुक्ति साधारण सभा की अनुमति से होगी।			नियम २२-२ जोड़ा गया
		३. वाषिक लेखे धर्मादाय आयुक्त को प्रस्तुत करने होंगे।			नियम २२-३ जोड़ा गया
२३	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान मे आवश्यकतानुसार साधारण सभा मे उपस्थित कुल सदस्यों के २/३ बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। (जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)			नियम २२-३ जोड़ा गया नियम २२-३ जोड़ा गया

२४	संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण	यदि संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण आवश्यक हुआ तो साधारण सभा में उपस्थित कुल सदस्यों के २/३बहुमत से संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति सामान उद्देश वाली संस्था को हस्तांतरित/ विलीनीकरण या एकत्रीकरन किया जायेगा। (जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)	पन्ना क्र ८अन्य नियम ५ से यहाँ से लिया गया	५) सभा का कोइ भी प्रस्ताव व निणय उपास्थत सदस्या क बहुमत व्दारा स्वीकृत होगा. यदि कोई प्रस्ताव विधान के नियमों में संशोधन अथवा समावेश या मंडल के विसर्जन, विलीनीकरण या एकीकरण के संबंधके हो तो सर्व साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों के २/३ प्रतिशत से ही पास किया जा सकेगा.	नियम २४ कोई बदलाव नहीं
	प्रमाणित किया जाता है की उक्त विधान (नियमावली) सलग्न परिशिष्ट सहित संस्था की (अध्यक्ष) (मंत्री) (कोषाध्यक्ष)				सत्यापन जोड़ा गया
	परिशिष्ट-१				**परिशिष्ट-१ विधान के साथ जोड़ा गया**
	<u>कार्यकारिणी समिती का चुनाव नियमावली</u>				२-३-१९९७ को सव साधारण सभा द्वारा पारित और १८/११/२००७ व ७/१२/२००३के सभा में संशोधित
१	कार्यकारिणी समिती अपने कार्यकाल समाप्ती वर्ष मे जो कि साधारणः प्रत्येक दुसरे वर्ष में आवेगा, होनेवाली वार्षिक सर्व साधारण सभा में नयी कार्यकारिणी के लिये १९ सदस्य (जिसमें कम से कम ३ महिलायें एवं एक छात्र सदस्य होंगे) के चुनाव की उचित व्यवस्था करेगी। आगे यह वर्ष "चुनाव वर्ष" के नाम से जाना जायेगा ।				
२	चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा, परन्तु उसको चुनाव में खडे रहने का अधिकार नही होगा. वह अपना मतदान कर सकेगा. चुनाव अधिकारी को पालीवाल सेवा मंडल का सदस्य होना आवश्यक है।				
३	चुनाव वर्ष में होनेवाली सर्वसाधारण सभा की सुचना के साथ ही चुनाव संबंधी सभी सूचना मंत्री के व्दारा सभी सदस्यों को विधान के नियम ११-२ के तहत भेज दी जायेगी।				"१५ दिन पुर्व यु.पी.सी." की जगह "विधान के नियम ११-२ " किया गया
४	कार्यकारिणी कम से कम ३० दिन पूर्व सर्वसाधारण सभा एवं चुनाव की तिथी, स्थान एवं समय निश्चित करेगी. इसी समय तक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी।				
५	कार्यकारिणी समिती (अ) नामाकन पत्र भरकर देने की अंतिम तिथि एव समय, ब) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी एवं समय, (स) मतदान की तिथी एवं समय, (ड) नामांकन पत्र एवं नामांकन पत्र वापस लेने का प्रारुप, (च) चुनाव का स्थान तथा अन्य आवश्यक नियम भी निश्चित करेगी।				
६	नामाकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात चुनाव अधिकारी नामाकन पत्रो की जाँच कर चुनाव मे खड़े रहने योग्य उम्मीदवारों के नाम चुनाव तिथी से कम से कम ५ दिन पहले नोटिस बोर्ड पर लगाकर घोषित करेगा।				
७	चुनाव अधिकारी मतदान तिथि को निर्धारित समय पर अगर आवश्यक हुआ तो मत पत्रिका (गुप्त मतदान) व्दारा मतदान करवाएगा. मतदान समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी मतों की गणना कर चुनाव के परिणाम घोषित करेगा।				
८	चुनाव तिथि के दिन मतदाता को स्वतः आकर मतदान करना होगा।				
९	चुनाव नतीजे (परिणाम) घोषित करने के २४ घंटे के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव परिणाम अथवा चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत या तक्रार चुनाव अधिकारी के पास कर सकेगा. चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।				

१०	मतदान तिथि के १५ दिन पूर्व मंत्री मतदान सूची तैयार करके मंडल के कार्यालय में सदस्यो के निरीक्षणार्थ रखेगा।			
११	मतदान सुची मे कोई आपत्ति होने पर कोई भी सदस्य मतदान तिथी के १० दिन पहले तक चुनाव अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्ति प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी व्दारा जाँच करने के पश्चात जो निर्णय दिया जायेगा वह अंतिम निर्णय होगा।			
१२	नामांकन पत्र मंडल के कार्यालय से कार्यालय के समय मे प्राप्त किये जा सकेगे।			
१३	उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरकर निर्धारित समय में चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.			
१४	नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक प्रत्याशी को रुपये १०० नामांकन शुल्क देना होगा। (वापसी के अयोग्य)			
१५	किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये निर्धारित समय के भीतर चुनाव अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी।			
१६	मतदाता सूची मंडल के पास उपलब्ध होने पर कार्यकारिणी सभा व्दारा निर्धारित मुल्य पर मंडल के सदस्यों को दी जायेगी।			
१७	मतदाता व्दारा अपने पसंद के प्रत्येक प्रत्याशिया के नाम के सामने के रिक्त स्थाना पर मोहर लगाना होगा. मतदाता जितने स्थानों के चुनाव होने है अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकेगा. उससे अधिक स्थानों पर मोहर लगाकर मतदान करने पर उसका समस्त मत रद्द हो जायेगा।			
१८	किसी स्थान के लिए समान मत पडने पर चुनाव अधिकारी "टॉस" अथवा लॉटरी व्दारा चुनाव परिणाम घोषित करेगा।			
१९	उपयोग में आनेवाले प्रत्येक मत पत्रिका पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर तथा काउन्टर मत पत्रिका क्रमांक होना आवश्यक है. अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।			
२०	मतदान के समय मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा चुनाव अधिकारी उम्मीदवार का प्रतिनिधि व अन्य कार्यकर्ता केवल मंडल के सहास्य ही होंगे।			
२१	किसी भी पदाधिकारी को वार्षिक सभा के बहुमत से पदमुक्त किया जा सकेगा।			
			सभी जगह "मंडल" की जगह "संस्था" किया गया	

नोट : १. पालीवाल सेवा मंडल की १९६३ का विधान (धर्मादाय आयुक्त द्वारा सर्टिफाइड कॉपी) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.

२. पालीवाल सेवा मंडल की आम सभा द्वारा पारित संशोधित विधान (१९६३ से दिनांक १५/०८/२०१३ तक) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.